भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2887

उत्तर देने की तारीख : 06.08.2025

अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन

2887. सुश्री इकरा चौधरी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के संबंध में संसदीय पैनल की सिफारिशों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो अनुमोदन प्रदान करने में तेजी लाने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, छात्रवृत्ति संवितरण में विलंब को दूर करने, मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएएनएफ) और पढ़ो परदेश जैसी योजनाओं को बंद करने की समीक्षा करने और कार्यान्वयन और व्यय की निगरानी में सुधार करने की आवश्यकता सहित प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या अल्पसंख्यक छात्रों पर इन योजनाओं को बंद करने के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वैकल्पिक सहायता की शुरुआत अथवा मौजूदा योजनाओं की पुनर्संरचना सहित ऐसे प्रभाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों के कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कोई समय-सीमा और निगरानी तंत्र निर्धारित/स्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) मंत्रालय ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदान मांगों (2025-26)' पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (अठारहवीं लोकसभा) की आठवीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर ध्यान दिया है। इस संबंध में, मौजूदा प्रणाली को सुव्यवस्थित/सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए गए हैं, जिनमें छात्रवृत्ति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और समय पर संवितरण के लिए आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली की शुरुआत, सत्यापन के लिए विशेष अभियान, राज्यों को अपने राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के साथ एकीकृत करने के निर्देश आदि शामिल हैं। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (MANF) और पढ़ो परदेश योजना को अन्य मंत्रालयों/विभागों की समान योजनाओं के साथ इन योजनाओं के ओवरलैप होने के कारण बंद कर दिया गया है।

(ग) और (घ) यद्यपि ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है, UGC और CSIR अध्येतावृत्ति योजनाएं अल्पसंख्यकों सहित सभी सामाजिक श्रेणियों और समुदायों के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजनाओं के अंतर्गत भी आते हैं।

(ङ) इस मंत्रालय की योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की निगरानी व्यवस्था पहले से ही मौजूद है। मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजनाओं के विशेष संदर्भ में, मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित तीनों छात्रवृत्ति योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन हेतु इन्हें एक विशिष्ट छात्रवृत्ति पोर्टल अर्थात राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) 2.0 पर यूआरएल: www.scholarships.gov.in के अंतर्गत पहले ही शामिल कर लिया है। कार्यशालाएं आयोजित की गईं और सभी संबंधित हितधारकों को निर्देश दिए गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन योजनाओं के कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार का विलंब न हो और समय पर आवश्यक कार्रवाई हो। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी नियमित रूप से अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिला संरचनाओं और संस्थानों के साथ इन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं।

*****